

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुमला
(नियोजनालय भवन)

पत्रांक : रा0उ0प0प्र0गु0 / 1025 (चन)

/ गुमला, दिनांक... 28-11-17

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुमला।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गुमला वन प्रमंडल, गुमला।

विषय:- गुमला बाईपास पथ निर्माण हेतु कुल 7.65 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के उप सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक 3653 दिनांक 01.09.17।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक ज्ञापांक के आलोक में अनुपालन निम्नवत है:-

(i)	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	यह वचन दिया जाता है कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रखी जाएगी।
(ii)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 7.65 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	कुल रू0 61,42,950.00 (रू0 एकसठ लाख बियालीस हजार नौ सौ पचास) मात्र अपयोजित होनेवाली 7.65 हे0 वनभूमि के NPV की राशि दिये गये बचत खाता संख्या 344902010105420, IFSC Code:- UBIN0534498 में जमा कर दी गई है (छायाप्रति संलग्न)।
(iii)	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	यह वचन दिया जाता है कि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा कर दी जाएगी। तत्संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
(iv)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	NPV की राशि CAMPA खाते में जमा करा दी गई है।
(v)	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 281 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा।	यह वचन दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में 281 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा।
(vi)	पथ निर्माण के उपरान्त, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	यह वचन दिया जाता है कि पथ निर्माण के उपरान्त, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण करा दिया जाएगा।
(vii)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	यह वचन दिया जाता है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।
(viii)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जाएगा।	यह वचन दिया जाता है कि वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जाएगा।
(ix)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जाएगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जाएगी ताकी आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	यह वचन दिया जाता है कि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किये जाने पर परियोजना में कार्यरत मजदूरों को परियोजना खर्च पर ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जाएगी।

(x)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	यह वचन दिया जाता है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
(xi)	अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।	यह वचन दिया जाता है कि अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
(xii)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-19 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।	यह वचन दिया जाता है कि उपर्युक्त सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि 7.65 हे० वन भूमि एवं जंगल झाड़ी में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

अनु०: यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
28.11.2017
कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
23-11-17 गुमला।

ज्ञापांक: रा०उ०प०प्र०गु० / 1025(अनु०)/गुमला, दिनांक 28-11-17
प्रतिलिपि: अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०: यथोक्त।

[Signature]
28.11.2017
कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
23-11-17 गुमला।

ज्ञापांक: रा०उ०प०प्र०गु० / 1025(अनु०)/गुमला, दिनांक 28-11-17
प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, झारखण्ड, राँची/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, राँची/क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिहवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, राँची/M/s Feedback Infra Pvt. Ltd., C/o Dr. Binay Roy, 505 D. Mandir Marg, Near Electricity Office, Ashok Nagar, Ranchi-834002 (Jharkhand) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

[Signature]
28.11.2017
कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
23-11-17 गुमला।

ज्ञापांक: रा०उ०प०प्र०गु० / 1025(अनु०)/गुमला, दिनांक 28-11-17
प्रतिलिपि: अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०: यथोक्त।

[Signature]
28.11.2017
कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,
23-11-17 गुमला।

o/c

Annexure I

भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय



क्षेत्रीय कार्यालय
न्यू एरिया दत्ता विला रोड नियर
एनटीसी मोराबादी
रॉकी-834008.

Ph.: (0651) - 2550279, 2550183 (Tele-Fax)
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Road Transport & Highways
Regional Office
New Area Datta Villa Road Near N.T.C.
Morabadi Ranchi - 834008.
Email-ro.ranchi-jhr@nic.in
roranchi03@gmail.com

No.RW/Ranchi/EPC/198/JHR/2013-14/229/682
To

Dated: 31, October, 2017

The Regional Pay and Accounts Officer (NH),
Ministry of Shipping Road Transport & Highways,
Porta Bhawan Room No.7&8
Salt Lake Kolkatta-700091.

Sub. - 5th on R.A/c bill for construction of bypass around Gumla town connecting NH-78 & NH-23
(R-G) in Jharkhand on EPC mode (Km 0.00 to 12.842) Job No. 78&23/JHR/2013-14/229).

Sir,

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Classification M.H. | 5054 (Plan)-NH (O) EPC |
| 2. Bill no | RW/Ranchi/DP-217/JHR/LWE/2017-18 |
| 3. Name of work: | Construction of bypass around Gumla town connecting
NH-78 & NH-23 (R-G) in Jharkhand. |
| 4. Name of Division | Gumla. |
| 5. Gross amount | Rs. 61,42,950/- |
| 6. Through RTGS | |

Sl. No.	Payee	Amount	Name & Branch of bank	Bank Code	IFSC	Bank account No.
1	Forest Conservator, Gumla	61,42,950/-	Union Bank of India	UBIN0534498		344902010105420

[Signature]
26.11.2017
Executive Engineer
National Highway Division
Gumla

Yours faithfully

[Signature]
(Sharad Varshney)
Regional officer

CP00000282

CP00000282

Know Payments by Account Number

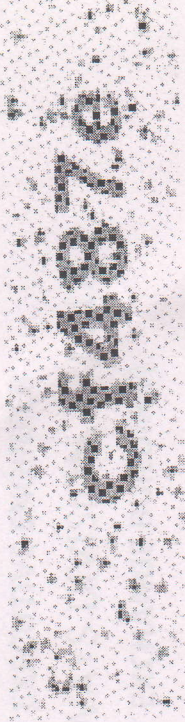
UNION BANK OF INDIA

Note: Enter First Few Characters Of Bank Name

Bank:

Enter Account Number:

Enter Confirm Account Number :



Word Verification:

Enter the letters as they are shown in the image above (Letters are not case-sensitive).

Search Reset

Find | Next

Know Your Payment

Account Number

xxxxxxxxxxxx5420

Bank Name : UNION BANK OF INDIA

Sr No.	Beneficiary Name	Scheme Name	Purpose	Agency Name	Amount	UTR No. (Bank Txn ID)	Bank Txn Date	Status	Failure Reason	Credit Transaction ID	Credit dat.	UIDAsPer Bank	AcctNumberAsPerBank	FavoringAs PerBank	BankINAsPerBank
1	JHARKHAND CAMPA	WORKS UNDER ROADS W.NG-[0833]			6,142,950.00	P17110636911003	06/11/2017	Success		S091701962099	06/11/2017		XXXXXXXXXX5420	JHARKHAND CAMPA	
2	JHARKHAND CAMPA				3,111,220.00	SBINRS2017102510054467	26/10/2017	Success		S091701409771	26/10/2017			JHARKHAND CAMPA	
Grand Total :					831										
					9,254,170.00										

28/11/17 13:48

Page No:1 / 1

Public Financial Management System - PFMS

28.11.2017
 Executive Engineer
 National Highway Division
 Gumla

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
NATIONAL HIGHWAYS DIVISION, GUMLA
(EMPLOYMENT EXCHANGE BUILDING)

Annexure-III

UNDERTAKING IN RESPECT OF CONDITION NO. 3 OF STAGE-I FOREST
CLEARANCE OF CONSTRUCTION OF BYPASS AROUND GUMLA TOWN
CONNECTING NH-78 & NH-23 (R-G) IN THE STATE OF JHARKHAND (Km 0.00
to Km 12.842) IN EPC MODE (JOB No. 078 & 023 – JHR-2013-14-229).

We hereby undertake that on the behalf of Ministry of Road, Transport & Highways,
New Delhi shall pay the additional NPV if so determined, as per the final decision of
the Hon'ble Supreme Court of India.

Signature:

Name in Block letters:

Designation:

Address of Agency:

MADAN PRASAD

EXECUTIVE ENGINEER

NATIONAL HIGHWAYS
DIVISION, GUMLA, BLOCK
CAMPUS, GUMLA-835207